**Production of maraging steel by Pakistan**

871. SHRI K. V. THANGKABALU: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to news item which appeared in Hindustan Times dated the 7th February, 1989 to the effect that Pak can make maraging steel; and

(b) if so, what is Government's reaction in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) Reports about Pakistan's ability to indigenously process and produce maraging steel which has uses in the manufcture of a nuclear explosive device are a matter of concern to Government in the context of Pakistan's weapons oriented nuclear programme.

**Financial Irregularities by the Principal, Kendriya Vidyalaya, Jorhat**

872. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY:
SHRI RAM AWADHESH SINGH:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a host of financial irregularities by the Principal of Kendriya Vidayalaya, Jorhat have been unearthed by a Special Audit Team of Kendriya Vidyalaya Sangathan recently;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what are the details of action taken contemplated against the culprit;

(d) whether some Members of Parliament have also written for action against the said Principal; and

(e) if so, whether any action has also been taken against him on the basis of the report of two Kendriya Vidyalaya Officers who had investigated into various administrative malpractices by the Principal; if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) to (c) On receipt of complaints alleging financial irregularities being committed by that Principal, Kendriya Vidyalaya, Jorhat a special audit of the account of the Kendriya Vidyalaya, Jorhat was conducted by the Kendriya Vidyalya Sangathan. The Special Audit Report has revealed financial irregularities and non-observance of purchase procedure. The audit report has been forwarded to the Principal with instructions to forward his comments/reply through the Assistant Commissioner, Silchar region under whose region the Vidyalaya falls. On receipt of the comments from the Principal and the Assistant Commissioner, further action will be taken.

(d) Yes, Sir.

(e) In regard to the earlier complaints which were investigated by the Kendriya Vidalaya Sangathan, Non-recordable warning was issued to the Principal.

**राजस्थान में महिलाओं के उत्थान की योजना**

873. **श्री संतोष बागड़ोदिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में महिलाओं के उत्थान के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा)** : (क) और (ख) जहां तक महिला एवं बाल विकास का सम्बन्ध है, राजस्थान को उपलब्ध कराई गई सहायता-राशि और योजनाएं निम्न प्रकार है :—

**समेकित बाल विकास योजना :**

इस योजना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित समेकित सेवाएं प्रदान की जाती हैं :

1. स्वास्थ्य जांच
2. रोग-प्रतिरक्षण टीके लगाना
3. संदर्भ सेवाएं
4. पूरक पोषाहार और
5. गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा ।

1988–89 में आई सी डी एस योजना के लिए राजस्थान सरकार को 5–2–1989 तक 751.00 लाख रुपए की राशि दी गई है।

**आई सी डी एस योजना के अन्तर्गत आँगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम :**

इस समय राजस्थान में 11 आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र (10 केन्द्र राजस्थान सरकार के अधीन और 1 केन्द्र भारतीय बाल कल्याण परिषद् के अधीन) चलाए जा रहे हैं। 1988–89 के दौरान इन केन्द्रों के लिए राजस्थान सरकार को 21,82,500/– रु० की राशि दी गई है।

**केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड :**

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा राज्य सरकारों को इस तरह की कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती। अब तक जिन कार्यक्रमों का विस्तार राजस्थान राज्य तक किया गया है उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(रु० लाखों में)

| क्रम सं० | कार्यक्रम का नाम | दी गई धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1986–87 | 1987–88 | 1988–89 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | वर्तमान सेवाओं में सुधार करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए बच्चों, महिलाओं, विकलांगों, वृद्धों और अशक्तों के लिए विविध कल्याण कार्यों हेतु सामान्य सहायता अनुदान . | 4.36 | 3.80 | 3.80 |
| 2 | महिला मण्डल . . . | 5.80 | 5.00 | 8.00 |
| 3 | परिवार परामर्श केन्द्र . . . | 0.95 | 0.85 | 1.14 |
| 4 | संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण | 11.90 | 15.78 | 11.37 |
| 5 | सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम . . | 6.67 | 6.68 | 2.70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु गृह | 20.16 | 47.19 | 32.50 |
| 7 | जागृति विकास परियोजनाएं | 3.76 | 4.16 | 1.50 |
| 8 | कल्याण विस्तार परियोजनाएं (बाल विकास) | 8.11 | 8.97 | 13.48 |
| 9 | कल्याण विस्तार परियोजनाएं (सीमावर्ती परियोजनाएं) | 9.79 | 11.55 | 12.50 |

**संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान खोलने हेतु सहायता की योजना :**

योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है और यह खर्च केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच 45 : 45 के अनुपात में वहन किया जाता है तथा शेष 10% का व्यय स्वयं सेवी एजेन्सी को वहन करना होता है। सहायता निम्नलिखित संघटकों के लिए दी जाती है :—

(1) प्रशिक्षार्थी को छात्रवृत्ति (गैर-निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 75 रु० और निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 100 रु०)।

(2) प्रशिक्षण अनुदेशकों का वेतन।

(3) प्रशिक्षण अवधि के लिए अपेक्षित उपकरणों का खर्च।

(4) बिल्डिंग का किराया।

योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई अनुदान राशि का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

| क्र० सं० | संघठन/संस्थान का नाम | लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या | अनुदान राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1986-87 | | | |
| 1 | ज्ञानोदय शिक्षण केन्द्र | 25 | 20,790 |
| 2 | बृज बाल निकेतन समिति, कुमान | 40 | 35,685 |
| 3 | भारत बाल शिक्षा समिति, जयपुर | 40 | 32,625 |
| 4 | मानव कल्याण समिति, जयपुर | 40 | 26,370 |
| 5 | राजस्थान मानव शिक्षा समिति, जयपुर | 50 | 42,750 |
| 6 | शान्ति निकेतन महिला विधवा आश्रम | 50 | 34,965 |
| 7 | सरोजबाल विद्यालय समिति, जयपुर | 80 | 45,180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **1987–88** | | |
| 1 | अशोक शिक्षा समिति, जयपुर | 40 | 48,960 |
| 2 | सरोजिनी बाल विद्यालय समिति, जयपुर | 4 | 3,600 |
| 3 | मानव कल्याण समिति, जयपुर | 80 | 25,515 |
| 4 | राष्ट्रीय लोक कल्याण परिषद् | 40 | 53,415 |
| 5 | राजस्थान मानव शिक्षा समिति, जयपुर | 50 | 43,875 |
| 6 | श्री शान्ति निकेतन महिला विधवा आश्रम, डींग | 50 | 35,865 |
| 7 | श्री जगजीवन राम शिक्षा समिति, जयपुर | 50 | 57,802 |
| 8 | मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याण उत्थान संस्थान, जयपुर | 40 | 23 135 |
| 9 | बृज बाल निकेतन समिति, कुमायूं | 50 | 46,305 |
| 10 | श्री शान्ति निकेतन महिला विधवा आश्रम, भरतपुर | 50 | 27,765 |
| | **1988–89** | | |
| 1 | मानव कल्याण समिति, जयपुर | 40 | 53,640 |
| 2 | भारत बाल शिक्षा समिति, जयपुर | 40 | 23,265 |
| 3 | वार विडोज एसोसिएशन, नई दिल्ली (सिकर में प्रशिक्षण केन्द्र के लिए) | 25 | 33,165 |
| 4 | अशोक शिक्षण समिति, जयपुर | 40 | 36,450 |
| 5 | महिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, भरतपुर | 25 | 29,272 |
| 6 | श्री शान्ति निकेतन महिला विधवा आश्रम, डींग, भरतपुर | 50 | 35,865 |
| 7 | राजस्थान मानव शिक्षा समिति, जयपुर | 50 | 33,596 |
| 8 | हरिदेव शिक्षण समिति, भरतपुर | 25 | 25,000 |
| 9 | बृज बाल निकेतन समिति, कुमायूं | 40 | 5,400 |

**विधवा देखभाल केन्द्र सहित श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार के लिये सहायता योजना**

इस योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण/समाज कल्याण/महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों/सार्वजनिक न्यासों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता भूमि की लागत के 50% तक और भवन की निर्माण लागत के 75% तक दी जाती है। पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में स्थापित श्रमजीवी महिला होस्टलों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| श्रमजीवी महिला होस्टलों की संख्या | वर्ष | दी गई राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|
| 6 | 1986–87 | 42,13,000 |
| | 1987–88 और 1988–89 | |

**महिलाओं एवं लड़कियों के लिये अल्पावास गृहों की योजना**

यह योजना ऐसी महिलाओं/लड़कियों/बच्चों के लाभ के लिए है जिन्हे वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य किया जा रहा हो। पारिवारिक कलह-क्लेश के परिणामस्वरूप घर छोड़ना पड़ रहा हो, बलात्कार की शिकार हों, जिनके सामने परिवार या समाज में पुनःस्थापना की समस्या हो, मानसिक कुसमंजन भावनात्मक अशान्ति और सामाजिक अत्याचार की शिकार हों। वित्तीय सहायता सीधे स्वयंसेवी संगठनों को दी जाती है। राजस्थान में स्वयंसेवी संगठनों को स्वीकृत अनुदान राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है —

| क्रम सं० | संगठनों का नाम | गृह का स्थान | स्थापना की तारीख | दी गई अनुदान राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | राजस्थान महिला विश्वविद्यालय, जयपुर | बी–1822, मंगलमार्ग, बापू मार्ग, जयपुर | 15–8–1987 | 2,71,000 |
| 2. | श्री करनी नगर विकास समिति, गोवर्धनपुरा | प्रेमिसिस आफ वर्किंग वूमेनस होस्टल, सी०ए०डी० क्रासिंगज के पास, कोटा | 1–4–1988 | 1,02,000 |
| 3. | वार विडोज एसोसिएशन सीकर | जगदम्बा भवन, मार्डन इंगलिश स्कूल के सामने, नागेश्वर बगीची के पास, सीकर | 15–10–1988 | 81400 |